92

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल बोर्ड, ग्वालियर (म0प्र0)

R-721-III/14

शिवराज सिंह वल्द रघुवीरसिंह

साकिन- विधाई तहसील मालथौन जिला-सागर(म0प्र0)

--आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता.

//बनाम//

म0प्र0शासन -- --अनावेदक.

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू-रा0संहिता

आवेदक/पुन.कर्ता निम्न प्रार्थी है:-

(1) यह कि, आवेदक पुन.कर्ता द्वारा मान0अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय के प्रकरण क्रमांक- 502अ23/05/06 दिनांक आदेश 30.6.2008 एवं मान0नायब तहसीलदार महोदय बादरी के प्रकरण क्रमांक-377बी121/2001 आदेश दि0-12.2.2001 में पक्षकार म0प्र0 शासन वि0शिवराज एवं मान0 अपर आयुक्त महोदय के अपील प्रकरण क्रं0-1161अ23/23/07/08 में पारित आदेश दि0- 05.09.11 एवं मान0 अपर आयुक्त महोदय के प्रकरण क्रमांक-1021 बी121/11/12 में पारित आदेश दि0-27.9.13 पक्षकार शिवराजसिंह वि0शासन से दुखित होकर निम्न विधि एवं तथ्यों के आधार पर यह पुन.निरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर निवेदन करता है ।

(2) यह कि, मान0अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को एवंविधि एवं तथ्यों के विपरीत पारित कर बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिए बगैर पारित किए है । जो दौरान पुनरीक्षण के ठहरने स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(3) यह कि, मान0 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश

..2

21 FEB 2014

कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेष पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 721–तीन/14 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–10–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्रकरण कमांक 1021/बी–121/11–12 में पारित आदेश दिनांक 27–9–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण कमांक 116/अ–23/07–08 में दिनांक 5–9–11 को आवेदक के अभिभाषक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया था। अभिभाषक द्वारा आदेश की जानकारी आवेदक को नहीं दी गई। अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी आवेदक को दिनांक 5–6–12 को पेशकार से प्रकरण दिखाने पर हुई तब 22–6–11 को प्रकरण पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 27–9–13 को रेस्टोरेशन आवेदन समय बाहय होने से निरस्त करने त्रुटि की है। अपर आयुक्त नें समयावधि के बिन्दु पर किसी प्रकार का सकारण आदेश पारित न मात्र तीन पंक्ति में ही आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अपर कलेक्टर द्वारा 20 वर्ष पश्चात हुये पट्टे को स्वमेव निगरानी में लेकर भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश देने में अवैधानिकता की गई है। अतः अपर कलेक्टर का आदेश भी निरस्त किया जाये। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों	

के अवलोकन से स्पष्ट है आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील को आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में दिनांक 5–9–11 को अदम पैरवी में खारिज हुई। चूंकि आवेदक को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 5–6–12 को पेशकारी से प्रकरण की जानकारी लेने पर हुई तब उसके द्वारा जानकारी दिनांक से निर्धारित समय–सीमा में पुर्नस्थापन आवेदन अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया। अभिभाषक द्वारा आवेदक को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी नहीं दी गई थी इसलिए प्रकरण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के लिए पक्षकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय को विलम्ब पर सदभाविक रूख अपना चाहिए। इस संबंध में 1987 एस0सी0 1353 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

" Limitation Act (36 of 1963) S. 5- Condonation of delay - Courts should adopt liberal approach - Reasons for adopting such approach stated.

इसके अतिरिक्त प्रकरण को विलम्ब जैसे तकनिकी आधार पर निराकृत न करते हुये गुण–गण पर निराकरण चाहिए। इस संबंध में 1997 आरएन 310 दीपचंद गुजकर विरूद्ध संयुक्त रजिस्ट्रार में न्याय दृष्टांत 1987 (सु कोर्ट) 1353 पर अविलबिंत होते हुये निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया–

''धारा 5 विलम्ब माफ किया जाना– विषय के गुणागुण पर सारवान न्याय किया जाना चाहिए– मामला देरी आदि से दाखिल करने पर पक्षकार को कोई फायदा नहीं मिलेगा। विलम्ब की माफी के आवेदन के विनिश्चयन के समय इस सिद्धांत को विचार में लिया जाना चाहिए।''

स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने पुर्नस्थापन आवेदन को समयबाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की है। जहां तक प्रकरण के गुण–दोषों का प्रश्न है भूमि ख0कं0 65/64 रकवा 2.00 एकड का पट्टा श्याम बिहारी वल्द प्रेम कुमार श्रीवास्तव को प्र0कं 8/अ–19/85–86 द्वारा प्रदाय किया गया था, जिसे अपर कलेक्टर सागर ने प्रकरण कमांक 502/अ–23/2005–06 के द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जबकि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत युक्तियुक्त समय के भीतर प्रकरण स्वमेव निगरानी लिये जाने का प्रावधान है।

1990 आर0एन0 70 उच्च न्यायालय पूर्णपीठ ने निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है–

"भू–राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 धारा 50 स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्तियां – परिसीमा – समुचित समय के भीतर प्रयुक्त की जाना चाहिए – समुचित समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और आक्षेपित आदेश की प्रकृति के संदर्भ में अवधारित किया जाना चाहिए – 1969 एस0सी0 1297."

इसी प्रकार म0प्र0 वीकली नोट 1998 (एक) नोट नं. 26 में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि–

"Suo moto powers of enquiry- period of limitation not provided under statute- should be started within a reasonable time- on year may be unreasonable period for the purpose."

स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा युक्तियुक्त समय के बाहर जाकर विधि विपरीत तरीके से 20 वर्ष पश्चात प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने में त्रुटि की है। अतः अपर कलेक्टर का आदेश इसी बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

संहिता की धारा 165(7–ख) के अन्तर्गत पट्टा प्रदाय किये जाने के पश्चात भूमिस्वामी अधिकारी प्राप्त हो जाते हैं तब बिना अनुमति के भूमि अंतरण किये जाने पर भूमि को शासकीय दर्ज नहीं किया जा सकता है। आवेदक द्वारा भूमिस्वामी अधिकारी सृजित हो जाने के पश्चात ही भूमि का अंतरण किया है इसलिए उक्त भूमि को शासकीय दर्ज करने में अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपर आयुक्त ने प्रकरण के गुण–दोष पर निराकरण न कर तकनीकी आधार पर अपील निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः दोनों ही आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4 / उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 27–9–13 एवं अपर कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 30–6–2008 निरस्त किया जाता है। प्रश्नाधीन भूमि पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य